प्रकरण संख्या 74/2012 GCMS ID-2012/00003 तारीख रजु–10.09.2012

# न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

**उनवान**

सरकार जरिये तहसीलदार करौली तहसील करौली जिला करौली – प्रार्थी

**बनाम**

1 जगदीश पुत्र गिर्राज जाति ब्राह्मण निवासी सायपुर (फौत)
1/1 दीपक पुत्र जगदीश जाति ब्राह्मण निवासी शिवपुरी–ए, उदेई मोड, गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर
1/2 कमलेश पुत्री जगदीश पत्नि भगवानसहाय शर्मा, निवासी पिपलाई तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर
1/3 मिथलेश पुत्री जगदीश पत्नि गोपाल शर्मा, निवासी पिपलाई, तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर
1/4 सीमा पुत्री जगदीश पत्नि विशम्भर शर्मा निवासी परीता हाल शिवपुरी–बी कॉलोनी, गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर
1/5 सीता देवी पत्नि स्व. जगदीश शर्मा, निवासी शिवपुरी–ए, उदेई मोड, गंगापुरसिटी जिला करौली
2 रामेश्वर पुत्र गिर्राज जाति ब्राह्मण निवासी सायपुर
3 हरिओम पुत्र गिर्राज जाति ब्राह्मण निवासी सायपुर

– अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

## निर्णय

दिनांक–02.03.2021

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार करौली ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 283 रकबा 4–05 बीघा, 294 रकबा 2–08 बीघा, 295 रकबा 0–02 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 6–15 बीघा ग्राम सायपुर तहसील करौली का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि उक्त आराजी खसरा नंबर खतौनी बंदोबस्त सम्वत्2015 के खाता संख्या 150 के अनुसार माफी मंदिर श्री ठाकुरजी खुदकाश्त दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में अंकित आराजीयात् की जमाबंदी सम्वत् 2068 से 2071 के खाता संख्या 44 की प्रविष्टि खातेदार जगदीश, रामेश्वर, हरिओम, पि. गिर्राज जाति ब्राह्मण सा.देह. के नाम अवैध हस्तांतरण कर दी गई है। यह कि प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकार मूर्ति अल्पवयस्क में निहित हैं। इसलिये राज्य सरकार के परिपत्र/3/606/रे./जी.आर./4176, जयपुर दिनांक 30.03.1977 के तहत मद संख्या 3 में हुआ हस्तांतरण अवैध है। यह कि हस्तांतरण होने के कारण भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 में दर्ज खातेदारी निरस्त योग्य है। अंत में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर मद संख्या 3 में हुए अवैध हस्तांतरण को निरस्त कर मद संख्या 1 में अंकित आराजी का इन्द्राज माफी मंदिर श्री ठाकुरजी के नाम दर्ज करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, 2068–71 की प्रमाणित प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार करौली के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण की गई।

वकील अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि रेफरेन्स का मद नं. 1 सही है, स्वीकार है। जमीन बाके ग्राम जाट बड़ौदा में स्थित है। रेफरेन्स का मद नं. 2 सही है, स्वीकार है। मंदिर श्री ठाकुरजी के पुजारी गिर्राज वल्द हरनारायण हमारे पितामह (बाबा) रहे हैं। उनके जीवनकाल से मंदिर की उक्त भूमि से राग भोग एवं सेवा पूजा करते चले आ रहे हैं। उनकी मृत्यु के बाद हम मंदिर की भूमि से मंदिर की राग भोग सेवा पूजा करते हैं। खाता मंदिर के

जिला कलक्टर

नाम तब्दील किये जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। विवादित भूमि का खाता मंदिर के नाम दर्ज करते हुए प्रार्थी का नाम वहैसियत पुजारी दर्ज फरमाया जावे। मद संख्या 3 व 4 सही हैं, स्वीकार हैं। रेफरेन्स का मद नं. 5 गलत है, स्वीकार नहीं है। किसी प्रकार का कोई हस्तांतरण नहीं हुआ है। भूलवश पटवारी से मंदिर का नाम हटाकर हम पुजारी के नाम दर्ज कर दिया है। हमारे नाम के आगे मंदिर श्री ठाकुरजी का नाम खाते में अंकित किये जाने में हमें कोई ऐतराज नहीं है। रेफरेन्स का मद नं. 6 गलत है, स्वीकार नहीं है। अंत में रेफरेन्स स्वीकार कर खाता मंदिर श्री ठाकुरजी बहतमाम पुजारी मंदिर के साथ हमारा नाम अंकित किये जाने के आदेश फरमाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थीगण संख्या 1/1 ता 1/5 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये और ना ही कोई जवाब पेश किया

शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये और ना ही उनके द्वारा कोई जवाब पेश किया गया।

वक्त बहस वकील अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 उपस्थित नहीं आये। पूर्व में वकील अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 द्वारा लिखित बहस पेश की हुई है जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया है कि मेरे जवाब को ही बहस पढ़ा सुना जाए। मंदिर श्री ठाकुरजी के पुजारी गिर्राज वल्द हरनारायण हमारे पितामह (बाबा) रहे हैं। उनके जीवनकाल से मंदिर की उक्त भमि से राग भोग एवं सेवा पूजा करते चले आ रहे हैं। उनकी मृत्यु के बाद हम मंदिर की भूमि से मंदिर के नाम तब्दील किये जाने से हमें कोई आपत्ति नहीं है। विवादित भूमि का खाता मंदिर के नाम दर्ज करते हुए प्रार्थी का नाम वहैसियत पुजारी दर्ज फरमाया जावे।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गहनतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 283 रकबा 4–05 बीघा, 294 रकबा 2–08 बीघा, 295 रकबा 0–02 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 6–15 बीघा ग्राम सायपुर तहसील करौली माफी मंदिर श्री ठाकुर जी बहतमाम पुजारी गिरराज वल्द हरनारायण कौम ब्राह्मण सा.देह खुदकाश्त दर्ज है। कालांतर में उक्त आराजी की प्रविष्टि खातेदार जगदीश, रामेश्वर, हरिओम, पि. गिर्राज जाति ब्राह्मण सा.देह. के नाम कर दी गई है। उक्त आराजीयात् के खातेदारी अधिकार मूर्ति अल्पवयस्क में निहित हैं। इसलिये राज्य सरकार के परिपत्र/3/606/रे./जी.आर./4176, जयपुर दिनांक 30.03.1977 के तहत उक्त आराजीयात् में अप्रार्थीगण को हुआ हस्तांतरण अवैध है। अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 को भी उक्त आराजीयात् का खाता माफी मंदिर श्री ठाकुरजी के नाम किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 1/1 ता 1/5 बावजूद सूचना न तो इस न्यायालय में उपस्थित आये हैं और न ही उनके द्वारा कोई जवाब पेश किया गया है। अतः हम प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः भूमिधारी तहसीलदार करौली का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम सायपुर की आराजी खसरा नंबर 283 रकबा 4–05 बीघा, 294 रकबा 2–08 बीघा, 295 रकबा 0–02 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 6–15 बीघा को वापस माफी मंदिर ठाकुर जी के नाम खदुकाश्त दर्ज करने की अनुशंषा की जाती है जिसकी स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 02.03.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

( सिद्धार्थ सिहाग )
जिला कलक्टर
करौली